



दिनांक 07.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी अहतमाल में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत गंगा अहतमाल में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 के अर्न्तगत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में प्राथमिक विद्यालय, रायघाटी, परिसर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा दिनांक 07.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड क्वालिटी इण्डिया प्रा०लि०, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

- ❖ इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के रायघाटी के निकट गंगा नदी पर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नहीं है।
- ❖ परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अर्न्तगत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्त्विक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है।
- ❖ प्रस्तावित खनन / चुगान में गंगा नदी में 61.23 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 6.3 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोड़कर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैनुअल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- ❖ प्रस्तुतीकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनों के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- ❖ परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैनुअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ❖ ट्रको एवं वाहनों के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रख-रखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडकों पर पानी छिड़काव किया जायेगा।
- ❖ कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू० 8.06 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. उप प्रधान रायघाटी द्वारा बताया गया, कि खनन होना अत्यन्त आवश्यक है। खनन के साथ-साथ तटबन्धों की सुरक्षा के समुचित उपाय किये जाये। साथ ही साथ क्षेत्र में खनन रोजगार एवं जिविकोपार्जन का एकमात्र साधन है, इस बात को ध्यान में रखते हुये खनन खोला जाये।
2. स्वामी ब्रह्मचारी दयानन्द, मातृ सदन हरद्वार द्वारा बैठक के समय एक प्रत्यावेदन दिया गया, जिसको कार्यवृत्त का भाग बनाया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया, कि

- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुतीकरण में बताया गये 'रेत, बजरी, बोल्डर परियोजना' पर उनको आपत्ति है क्योंकि बजरी बोल्डर इत्यादि उपर से बहकर नहीं आते है। स्वयं प्रोजेक्ट स्टडी के सारांश में कहा गया है कि नदि में वर्तमान में एकत्र मलबे का 90 प्रतिशत भाग जिसकी प्रतिपूर्ति होगी, निकाला जायेगा। जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा मातृ सदन की आपत्ति दिनांक 03.01.14 पर अपने जवाब में स्वयं कहा है, कि पत्थर एवं बोल्डर्स उपर से बहकर नहीं आते है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर कराई गयी लोक सुनवाई में मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की पुष्टि की गयी कि गंगा नदि में पत्थरों के बहकर आने के सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक अध्ययन नहीं है। अतः यह प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है, जिस हेतु पुनः स्टडी कराकर वाछित कार्यवाही की जाये। यह भी अध्ययन करा लिया जाये कि पूर्व में खनन से कितना नुकसान हुआ है। तत्पश्चात ही खनन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी उचित होगी तब तक गंगा में खनन पूर्ण रूप से बन्द हो।
- उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में बताया गया है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल पर गंगा का वेग अधिक है एवं यहां कोई Deposition नहीं होता है। अतः यह प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है।
- परियोजना में जो अक्षांश/देशान्तर दर्शाये गये है, उनमें अधिकांश भाग वनस्पति क्षेत्र दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें खेती की भूमि भी सम्मिलित है। अतः खनन हेतु वनस्पति क्षेत्रफल का ही खुदान होगा, जो कि चुनौती किये जाने योग्य है। यदि परियोजना के प्रस्ताव के अनुसार नदि क्षेत्र से दोनो तरफ 15-15 प्रतिशत भाग भी छोड़ दिया जाये तब भी खनन हेतु दिये गये अक्षांश/ देशान्तर वर्तमान परियोजना के कार्यक्षेत्र को सिद्ध नहीं कर पाते है। परियोजना के सारांश में यह भी लिखा गया है कि Mitigation Measures में यह भ्जी बताया गया है कि खनन स्थल पर कोई वनस्पति नहीं है। जबकि परियोजना में दिये गये अक्षांश/देशान्तर बताते है कि यहा प्रचूर मात्रा में वनस्पति है।
- परियोजना के सारांश में बताया गया है कि पत्थरों का Replineshment ही होगा, जबकि Replineshment वास्तविक रूप से नहीं होता है। पत्थरों व बोल्डरों का खनन बन्द होना चाहिये तथा रेत के खनन हेतु वास्तविक स्टडी पुनः करायी जाये।
- कार्यदायी संस्था द्वारा 09.12.13 को जिलाधिकारी, हरिद्वार को इस आशय का पत्र लिखा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क से 500 मीटर की दूरी से अधिक पर वन्य जीव जन्तु बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसा कोई नियम अथवा कानून नहीं है जो इस तरह का प्रावधान सूचित करता हो। भारत सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों की राष्ट्रीय पार्क से 10 कि०मी० के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव जन्तु बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है। कार्यदायी संस्था द्वारा मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह किया जा रहा है अतः यह स्टडी निरस्त किये जाने योग्य है।

स्वामी दयानन्द द्वारा दिनांक 26.07.14 को जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा प्रमुख सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित पत्र का सन्दर्भ दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपर जिलाधिकारी एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारी मातृ सदन जाकर उनकी आपत्ति दर्ज करें। जिस पर निगम द्वारा बताया गया कि उनके स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त के आधार पर स्वामी दयानन्द द्वारा कार्यदायी संस्था को पूर्ण स्टडी कराये बिना भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुये इसकी स्टडी को चुनौती दी है।

मातृ सदन की आपत्ति पर कार्यदायी संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अक्षांश/ देशान्तर के सम्बन्ध में भी परियोजना एवं कार्यदायी संस्था द्वारा कोई सन्तुष्ट पक्ष नहीं रखा गया, जिससे क्षेत्रफल व खनन हेतु वास्तविक भूमि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः कोरम द्वारा क्षेत्रफल के सम्बन्ध में दिये गये अक्षांश/देशान्तरों पर कहा गया कि मातृ सदन की तकनीकी आपत्तियों पर केन्द्रिय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समूह द्वारा परीक्षण करते हुये अग्रिम निर्णय लिया जाये।

3. श्री विरेन्द्र सिंह चौहान, निर्मल सिंह सैनी तथा सदस्य ग्राम पंचायत रायघाटी द्वारा अवगत कराया गया, कि मलबे की निकासी आवश्यक है। खनन के साथ-साथ तटबन्धों की सुरक्षा के समुचित उपाय किये जाये। साथ ही साथ क्षेत्र में खनन रोजगार एवं जिविकोपार्जन का एकमात्र साधन है, इस बात को ध्यान में रखते हुये खनन खोला जाये।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा गंगा नदी अहतमाल में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने-अपने हाथ उठाये इस पर जफर भारती ग्राम सुल्तानपुर, मौहम्मद अफजाल ग्राम सुल्तानपुर, आजम भारती ग्राम सुल्तानपुर एवं स्वामी ब्रह्मचारी दयानन्द द्वारा हाथ उठाकर खनन के विरोध में मतदान किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते हैं वह अपने-अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय उपरोक्त चारों व्यक्तियों के अतिरिक्त उपस्थित अन्य समस्त जन समुदाय द्वारा हाथ उठाकर खनन का समर्थन किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

एम0डी0 ढौंडियाल
समन्वयक, गढ़वाल मंडल
विकास निगम, हरिद्वार

डॉ0 अंकुर कंसल
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रुडकी

रवनीत चीमा
अपर जिलाधिकारी (वित्त)
जिला हरिद्वार

दिनांक 07.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा
 जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी अहतमाल में उपखनिज
 चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत
लोकसुनवाई मे उपस्थिति

क्रम सं०	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1	रवनीत चोपड़ा अध्यक्ष (विभागीय स्तर)	
2	अशोक लाल शर्मा ज. प्र. स. नि. को. स. नि.	
3	सुमित कुमार	सुमित कुमार
4	नरेन्द्र कुमार	नरेन्द्र कुमार
5	कमलपाल	कमलपाल
6	विरम	विरम
7	उदीप कुमार	उदीप कुमार
8	इलम चन्द	इलम चन्द
9	रोजमल	रोजमल
10	अरुण	अरुण
11	दिलीप	दिलीप
12	पवन कुमार	पवन कुमार
13	जितेन्द्र चौहान	
14	ललित चौहान	
15	पिरवी सिंह	पिरवी सिंह
16	सोमबीर सिंह	सोमबीर सिंह
17	मानु कुमार	मानु कुमार
18	अमित कुमार	अमित कुमार

क्रम सं०	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
19	सोहन सिंह	Sohan
20	मशवीर सिंह	Mashveer
21	मनीना सिंह चौधरी	Munina
22	अमजाल	Amjal
23	राजकुमार उप प्रधान	Rajkumar
24	आम भूपाल सुतवन्धन	Am
25	जयराज मारवाडी सुलतानपुरा	Jayraj
26	प्रबन्धारी दयानन्द मातृ सदन धरहरा	Prabandhari
27	रिजवाज सुतवन्धन	Rizwan
28	विमल सिंह	Vimal
29	उप प्र० दिलराम	Up Pr. Dilram
30	नेपाल सिंह	Nepal
31	शोभा राम	Shobha
32	जुगेन्दु सिंह	Jugendu
33	जाकिरात सिंह	Jakirat
34	शा.म.रा.प.	Sh.M.Ra.P.
35	धर्मवीर	Dharmveer
36	लोकिश कुमाल	Lokesh
37	Kusumbar	Kusumbar
38	किंश	Kinsh
39	विमलपाल	Vimalpal

